

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1226/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(213)-2021

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-177/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि-01-2017-आदेश-(03)-2019 दिनांक 22 जनवरी, 2019, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, अंक, अक्षर और शब्द "अगस्त, 2021 के 31वें दिन" के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, अंक, अक्षर और शब्द "नवंबर, 2021 के 30वें दिन रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 29 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव